संख्या-395/2025/1199/41-1-2025-सी0एन0- 1796736-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2025

विषय उ0प्र0 पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

महानिदेशक, पर्यटन उ०प्र० द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से विलीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-44 5 लेखाशीर्ष 5452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मद के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत कार्य पोजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के आगणन प्रेषित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विलीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में निम्नवत सारणी के अनुसार कुल रू० 1.75 लाख (रू० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क० सं०	कम्प्यूटर संख्या	महानिदेशक का पत्र संख्या दिनांक	कार्य का नाम	नामित कार्यदायी संस्था	परियोजनाओ की प्रशासकी य एवं वित्त स्वीकृति एस० टी०	प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	विशिष्ट शर्ते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1914693	11390/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 29, 2025	जनपद मऊ डुमरांव गांव में स्थित पौहारी बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	यू डी0टी0एस0पी0 0सी0	99.25	0.25	, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग डिजाइन पर महानिदेशक, पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय
2	1914774	11473/6-1-1(05)/2024-25. दिनांकमार्च 29 , 2025	जनपद मैनपुरी के ग्राम जा समई में श्री हनुमान जी महा राज मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य	यू एल0सी0पी0पी0 0	191.53	0.25	, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

							कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग डिजाइन पर महानिदेशक, पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3	1914757	11473/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 29, 2025	जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड बलरामपुर सदर में शक्तिपीठ जुआदेवी मंदिर श्रीनगर जुआधान के पर्यटन विकास कार्य	यू0एल0सी0पी0	191.53	0.25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग डिजाइन पर महानिदेशक, पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4	1914759	11473/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 29, 2025	जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा खलीलीबाद के ग्रामसभा कोल्हुआ में प्रसिद्ध समय माता मन्दिर के पर्यटन विकास एवं अवस्थापना कार्य सुविधाओं के सृजन कार्य	यू 0एस0पी0 0सी0डी	191.53	0.25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग डिजाइन पर महानिदेशक, पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5	1914764	11473/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 30, 2025	जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में स्थित प्राचीन शीतला माता मन्दिर के पर्यटन विकास कार्य	यू0एल0सी0पी0	61.18	0.25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग डिजाइन पर महानिदेशक, पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6	1914758	11473/6-1-	जनपद हरदोई के	यू	74.99	0.25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण

http://shasanadesh.up.gov.in

		1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 30, 2025	विभरावन 0ख0 के ग्राम सोनिकपुर में महाभारत कालीन र महादेव वाणेश्व मंदिर के पर्यटन विकास कार्य	डी0टी0एस0पी0 0सी0			पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग डिजाइन पर महानिदेशक, पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7	1914765	11473/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 30, 2025	जनपद शाहजहांपुर के वि0स0 कटरा के वि0ख0 जैतीपुर के ग्राम पहाडपुर में स्थित शिव संकट मोचन धाम मंदिर के पर्यटन विकास कार्य।	यू डी0टी0एस0पी0 0सी0	104.40	0.25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध 26 बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, बरेली द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा परियोजना की ड्राइंग डिजाइन में स्थल विशेष के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाले आइकन लिये जायें तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग डिजाइन पर महानिदेशक, पर्यटन से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
					कुलयोग	1.75	

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा संबंधित जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्राक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्राक्रिय में आई0टी0 एवं अलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय समय पर निर्गत देश से 1/2017/1067/78-2-2017-42/2017 दिनांक 1/05/2011 देशों में निहित एवं प्रावधानों का अनुपालन पूर्णता सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माणकार्य करने से पूर्व कविको आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम सीकस अधोरिटी में भीकृत करा लिया जाता तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आधानिक अपतियों एवं पर्यावरणीय कला एवं सक्षम कार से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित सं विभाग प्राधिकरणों आदि प्राणपत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्न कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्राराध करने से पूर्व विस्तृत आगमन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ साथ विलीय हस्त-पुसिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सश्वम कार के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेंगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्तआय-व्ययक अनुभाग के शासनादेश संख्या 2/2024/बी-1 294/दस 2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जागेगा अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों की अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई कर। धनराशि चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त लिये जायेंगे।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में पामाणिक से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा उका के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

10) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शामत्र एवं महालेखाकार प्रयागराजकीयाना सुनिचित किया। सीत आडिट से सम्बंधित वन का भी पूर्वतया अनुपालन सुनिहित किया जावेगा।

(12) यह सुनिकित किया जावेगा कि उपकांकित बीकृत कार्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धननाशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिहित किया कि इसकी कमान तथा भविषाअन्य पोकाओं में द्विरावृति पुनरावृति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय भार न पड़े। कार्यदागी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्मोहित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन की उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(13) अवगुका की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार त्या नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर पदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिद्धित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिकित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाप। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पापी जाती है तो इसका पूर्ण उलदापित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(17) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशत आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित ताइटों/उपकरणों का क्रय उ० प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार कय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत निहित विशिष्टि प्रकार की लाइट फिटिंग्स एवं फिक्चर्स, जो बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित हैं, की दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम के कार्यों हेतु पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्रय एवं स्थापना सुसंगत विलीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(22) परियोजनान्तर्गत बाट आउट आइटम्स पर पर्यटन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2764/41-1-2024 सी0एन0-1864107/2024 दिनांक 07 नवम्बर, 2024 द्वारा गठित क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(23) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के परियोजना की रिपोर्ट के भीतर उपसा करागी जायेगी। परिधान परियोजना एवं तेदार के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशात क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी उपनिदेशक पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला काय रूपये 1.75 लाख (रू० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) को बालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्ष 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मंड-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्तआय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/20/4, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तक्त प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी, मऊ/मैनपुरी/बलरामपुर/संतकबीरनगर/बुलन्दशहर/हरदोई/शाहजहाँपुर ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिए, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5,6,7, व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. संबंधित उप निदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।